



फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	<p>12/2/24</p> <p>No objection प्रति सं. 2, 3</p> <p></p> <p>(M.D. शास्वतार सिं. 5)</p>	<p>पत्रावली पंजा नुमा एगुसाए प्ररिकेन उपस्थित। अपधी संख्या 4 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त। अपकी सूचना के अनुपस्थित होने पर अपधी सं. 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही मतल में लायी जाती है। वकील प्रधी द्वारा बहल हेतु निवेदन प्रिजा ममा बहल उभयपक्ष सुनी गयी। वकील अपधी संख्या 2 व 3 द्वारा अपीलेंट की अपील रवीकार करने पर मनापात्रि जादिर की गयी। अपील अपीलेंट मर्जित धारा 75 L-R Act रवीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से संकेत किया जाकर शा.प्रि. प्रिजा गया।</p> <p>पत्रावली केवल नुमा हीकर नंबर से एम ही तथा दफतर दाखिल ही।</p> <p></p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>